12.03.24 पत्रावली पेश। वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद पत्र आज्ञा पाँचवी आज्ञा हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तामील होकर अभिलेख दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:25:24 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.